

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

पत्रांक – वि० प्रा० (II) विविध-07/2014-

पटना, दिनांक –

प्राचार्य, एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-112 दिनांक-11.02.2014 द्वारा डॉ० विमलेश विभूति रंजन, सहायक प्राध्यापक असैनिक (संविदा), एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर का नियोजन-एकरारनामा रद्द कर दिया गया था। डॉ० रंजन द्वारा इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-23693/2013 दायर किया गया था। सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-23693/2013 से उद्भूत एल० पी० ए० संख्या-225/2015 में दिनांक-24.07.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री विमलेश विभूति रंजन को सहायक प्राध्यापक असैनिक, एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा एक वर्ष तक जो पहले हो, तक के लिए पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय पर पुनः चयनित किया जाता है :-

2. श्री रंजन संलग्न विहित एकरारनामा प्रपत्र में संबंधित संस्थान में प्राचार्य, एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर के साथ नये सिरे से अनुबंध करेंगे।
3. एकरारनामा की तिथि ही श्री रंजन की योगदान की तिथि मानी जायेगी।
4. श्री रंजन का एकरारनामा रद्द किए जाने एवं पुनः अनुबंध करने की तिथि के बीच के मानदेय का दावा अनुमान्य नहीं होगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (II) विविध-07/2014- 184 पटना, दिनांक – 12/8/2015

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/विभाग के सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-II (बजट)/श्री विमलेश विभूति रंजन, सहायक प्राध्यापक, असैनिक, (संविदा) एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय आई० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पुनः - 
11/8/15


सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।